न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

(1) अपील/डिकी/जोधपुर/63/2022 (जीसीएमएम-2022/143)

आमदीन पुत्र कादर खां जाति मुलसमान
निवासी मस्जिद की ढाणी, ग्राम देचू
जिला जोधपुर

अपीलाण्ट...

ब

ना

म

1. ग्राम पंचायत मस्जिद की ढाणी, पंचायत समिति देचू जरिये ग्राम सचिव एवं ग्राम विकास अधिकरी मनोज कुमार मेहता पुत्र मोतीराम मेहता हाल निवास ग्राम मस्जिद की ढाणी, ग्राम देचू, जिला जोधपुर
2. मुरादो पत्नी हाजी खां
3. अलारख पुत्र हाजी खां
4. समस्तदीन पुत्र हाजी खां
5. ईलियास खान पुत्र हाजी खां
6. सिकन्दर पुत्र हाजी खां
7. नवाब खां पुत्र हाजी खां
8. अब्दुल रहीम पुत्र हाजी खां
9. अलारखी पुत्री हाजी खां
10. मीमो पुत्री हाजी खां
11. असीयत पत्नी सुभान खां
12. साह मोहम्मद पुत्र सुभान खां
13. शेर खां पुत्र सुभान खां
14. जुसुब खां पुत्र सुभान खां
15. गनी खां पुत्र सुभान खां
16. रहमान खां पुत्र सुभान खां
17. मेहबूब खां पुत्र सुभान खां
18. मीरण पुत्री सुभान खां
19. जमीयत पुत्री सुभान खां
20. एमणो पत्नी नुरदीन

राजस्व अपील प्राधिकारी

21. समसुदीन पुत्र नुरदीन
22. निहालदीन पुत्र नुरदीन
23. इमाम खां पुत्र नुरदीन
24. लतिफ पुत्र नुरदीन
25. कासम खां पुत्र नुरदीन
26. जुलेफा पुत्री नुरदीन
27. अमरो पत्नी मुसे खां
28. सदीक खां पुत्र मुसे खां
29. अमी मोहम्मद पुत्र मुसे खां
30. रविना पुत्री मुसे खां
31. अमनी पुत्र मुसे खां
32. करीमों पुत्री मुसे खं
33. इलमदीन पुत्र कादर खां
34. मीमो पत्नी हनीफ खां
35. जुबेदा पुत्री हनीफ खां
36. जैनरव पुत्री हनीफ खां
37. बिस्मीला पुत्री हनीफ खां
38. उम्मेदा पुत्री हनीफ खां
39. रउफा पुत्री हनीफ खां
40. लालदीन पुत्र कादर खां
41. सरीफो पुत्री कादर खां
42. सुरमा पुत्री कादर खां
43. मीमो पुत्री कादर खां
44. जलेखा पुत्र कायमदीन
45. सिकन्दर पुत्र कायमदीन
46. मीमो पत्नी सुभान खां
47. निवाब खां पुत्र सुभान खां
48. बलीखां पुत्र सुभान खां
49. सिन्धीखां पुत्र सुभान खां
50. छोटू खां पुत्र सुभान खां
51. मुख्तयार पुत्र सुभान खां
52. साबिर पुत्र सुभान खां

राजस्व अपील प्राधिकारी

53. बिस्मिला पुत्री सुभान खां
54. सलीमा पुत्री सुभान खां
55. मरवत पुत्री सुभान खां
56. धोलकी पुत्री सुभान खां
57. सुफिया पत्नी निहालदीन
58. रेहमततुला पुत्र निहालदीन
59. उम्मेद अली पुत्र निहालदीन
60. मुसरफ पुत्र निहालदीन
61. सलीमा पुत्री निहालदीन
62. रुकीया पुत्री निहालदीन (नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता सुफिया)
63. सोना पुत्री निहालदीन (नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता सुफिया)
64. हुरमी पुत्री कायमदीन
65. ऐमणो पुत्री कायमदीन
66. जमाली पुत्री कायमदीन
67. अलारखी पुत्री कायमदीन
68. अली खां पुत्र मेहरदीन
69. इनु पुत्री मेहरदीन
70. फाती पुत्री मेहरदीन
71. कमी पत्नी इलमदीन
72. नजीर खां पुत्र इलमदीन
73. हुजुर खां पुत्र इलमदीन
74. इस्माईल पुत्र खेरदीन
75. समस्तदीन पुत्र खेरदीन
76. फतेह मोहम्मद पुत्र खेरदीन
77. इनायतु पुत्री खेरदीन
78. अब्दुल रहीम पुत्र नूर खां
79. इलियास पुत्र नूर खां
80. दलीखातूं पत्नी नसरदीन
81. गुलाम रसूल पुत्र नसरदीन

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

82. मस्तान पुत्र नसरदीन (नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता दलीखातूं)
83. यारू खां पुत्र नसरदीन (नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता दलीखातूं)
84. फिरदोस पुत्री नसरदीन (नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता दलीखातूं)
85. रविना पुत्री नसरदीन (नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता दलीखातूं)

सभी निवासीगण ग्राम मस्जिद की ढाणी, तहसील देचू
जिला जोधपुर

86. गफुर खां पुत्र कायम खां जाति मुसलमान, निवासी ग्राम जालोडा, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर
87. मुरिदा पत्नी अलारख
88. सदीक खां पुत्र अलारख
89. नजीर खां पुत्र अलारख
90. गनी खां पुत्र अलारख
91. बिस्मिला पुत्री अलारख
92. हबीबो पुत्री अलारख
93. जुबेदा पुत्री अलारख
94. खुशाल खां पुत्र अजीत खां
95. आलम खां पुत्र शेरखां
96. आमदीन पुत्र शेरखां
97. नसरदीन पुत्र शेरखां
98. अमनी पत्नी इलमदीन
99. मुख्तयार पुत्र इलमदीन
100. याकुब खां पुत्र इलमदीन
101. सुलतान खां पुत्र लाल खां
102. नेन खां पुत्र लाल खां
103. सिकन्दर पुत्र लाल खां
104. मरीमो पत्नी निहाल खां उर्फ नियालदीन
105. साले मोहम्मद पुत्र निहाल खां उर्फ नियालदीन
106. हमीद पुत्र निहाल खां उर्फ नियालदीन

107. रउफ खां पुत्र निहाल खां उर्फ नियालदीन
108. सुफिया पत्नी सायर खां पुत्री नियालदीन
109. मेहबूब पुत्र सायर खां (नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता सुफिया)
110. मसरत पुत्र सायर खां (नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता सुफिया)
111. फाजल खां पुत्र मेहताब खां
112. रेहमत पुत्री सलमान खां
113. मदीना खातूं पुत्री सलमान खां
114. बिस्मिला खातूं पुत्री सलमान खां
115. इनायत पुत्री बच्चु खां पत्नी निजामदीन
116. याकुब खां पुत्र निजामदीन
117. शकुर खां पुत्र मुसेखां
118. जेनफ खातूं पत्नी शेर खां
119. इलियास पुत्र शेर खां
120. रमजान पुत्र शेर खां
121. नसरदीन पुत्र शेर खां
122. बसीर खां पुत्र शेर खां
123. नजीर पुत्र शेर खां
124. सदीक पुत्र मुसे खां
125. इनायतू पुत्री मुसे खां
126. अमनो पुत्री मुसे खां
127. इलमदीन पुत्र मीर मोहम्मद
128. अब्दुल करीम पुत्र मीर मोहम्मद
129. सकी मोहम्मद पुत्र मीर मोहम्मद
130. हुरो पत्नी सुरतान खां
131. आसीफ पुत्र सुरतान खां
132. मिसरा पुत्री सुरतान खां (नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता हुरो)
133. बसीर खातूं पत्नी जमाल खां
134. बली खां पुत्र बच्चु खां
135. कमरदीन पुत्र लाल खां

136. नसरदीन पुत्र लाल खां
137. जुसुब पुत्र कायम खां
138. अमरी पत्नी अबदे खां
139. सदाम पुत्र अबदे खां (नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता अमरी)
140. मुख्तयार पुत्र अबदे खां (नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता अमरी)
141. निहालदीन पुत्र नुर खां
142. निजामदीन पुत्र नुर खां
143. उमराव खां पुत्र नुर खां
144. बसीर खां पुत्र नसरदीन
145. साबिर पुत्र नसरदीन
146. रेहमत पुत्री नसरदीन
147. गफुर खां पुत्र फतेह मोहम्मद
148. सरादीन पुत्र फतेह मोहम्मद
149. कासम खां पुत्र फतेह मोहम्मद
150. अयूब खां पुत्र फतेह मोहम्मद
151. अब्दुल करीम पुत्र फतेह मोहम्मद
152. जुसुब खां पुत्र फतेह मोहम्मद
153. इलियास खां पुत्र फतेह मोहम्मद
154. करीमा पुत्री फतेह मोहम्मद
155. फतेह खातूं पत्नी इलाउखां
156. उम्मेददीन पुत्र इलाउखां
157. मोरदीन पुत्र इलाउखां
158. अहम्मद खां पुत्र इलाउखां
159. कमरदीन पुत्र इलाउखां
160. कमी पुत्री इलाउखां
161. निहालदीन पुत्र निजेखां
162. कासम खां पुत्र निजेखां
163. सदाम पुत्र निजेखां
164. सरीफो पुत्री निजेखां
165. इलमदीन पुत्र अलादीन

166. जमालदीन पुत्र अलादीन
167. रेशमा पत्नी आलम खां
168. इस्लाम खां पुत्र आलम खां
169. जन्नत खातूं पत्नी लालदीन
170. सरादीन पुत्र लालदीन
171. हुजुर खां पुत्र लालदीन
172. उमर खां पुत्र लालदीन
173. रफीक पुत्र लालदीन
174. सफी मोहम्मद पुत्र लालदीन
175. अमनी पुत्री लालदीन
176. उमती पुत्री लालदीन
177. मुरित पुत्र सलीम खां
178. बच्चु खां पुत्र सलीम खां
179. लाले खां पुत्र सलीम खां
180. समुखां पुत्र सलीम खां
181. सुरतान खां पुत्र लाल खां
182. हरमत बेवा नूर खां
183. आमदीन पुत्र नूर खां
184. गफुर खां पुत्र नूर खां
185. बालम खां पुत्र नूर खां
186. सिकन्दर पुत्र नूर खां
187. अता मोहम्मद पुत्र नूर खां
188. हारून खां पुत्र नूर खां
189. सायरा पुत्री नूर खां
190. अजमत पत्नी अहम्मद खां
191. फतेह मोहम्मद पुत्र अहम्मद खां
192. अतेमोहम्मद पुत्र अहम्मद खां
193. बरकततुला खां पुत्र अहम्मद खां
194. हिदायततुला खां पुत्र अहम्मद खां
195. जलालदीन पुत्र हाजी खां
196. जमालदीन पुत्र हाजी खां
197. कमाल पुत्र हाजी खां

राजस्व अपील प्राधिकारी

198. लालदीन पुत्र हाजी खां
199. मोहम्मद पुत्र हाजी खां
200. सुरती पत्नी सलेम खां
201. समेखां पुत्र सलेम खां
202. कमरदीन पुत्र सलेम खां
203. हबीबुला पुत्र सलेम खां
204. इनायतों पत्नी मोहम्मद खां
205. याकुब खां पुत्र मोहम्मद खां
206. फारूक खां पुत्र मोहम्मद खां
    सभी जाति मुसलमान, निवासीगण ग्राम मस्जिद की ढाणी, तहसील देचू, जिला जोधपुर
207. यूको बैंक शाखा पीलवा जरिये शाखा प्रबन्धक तहसील देचू, जिला जोधपुर
208. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार देचू, तहसील देचू, जिला जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर लोहावट दिनांक 31 मार्च 2022 राजस्व वाद संख्या 100/2021 ग्राम पंचायत मस्जिद की ढाणी बनाम मुरादों इत्यादि

उपस्थित-
श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 208
अन्य रेस्पो. बावजूद सूचना अनुपस्थित

(2) अपील/डिक्री/जोधपुर/70/2022 (जीसीएमएम-2022/172)

आमदीन पुत्र कादर खां जाति मुलसमान
निवासी मस्जिद की ढाणी, ग्राम देचू
जिला जोधपुर

अपीलाण्ट...

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

ब ना म

1. ग्राम पंचायत मस्जिद की ढाणी, पंचायत समिति देचू जरिये ग्राम सचिव एवं ग्राम विकास अधिकरी मनोज कुमार मेहता पुत्र मोतीराम मेहता हाल निवास ग्राम मस्जिद की ढाणी, ग्राम देचू, जिला जोधपुर
2. मुरादो पत्नी हाजी खां
3. अलारख पुत्र हाजी खां
4. समस्तदीन पुत्र हाजी खां
5. ईलियास खान पुत्र हाजी खां
6. सिकन्दर पुत्र हाजी खां
7. नवाब खां पुत्र हाजी खां
8. अब्दुल रहीम पुत्र हाजी खां
9. अलारखी पुत्री हाजी खां
10. मीमो पुत्री हाजी खां
11. असीयत पत्नी सुभान खां
12. साह मोहम्मद पुत्र सुभान खां
13. शेर खां पुत्र सुभान खां
14. जुसुब खां पुत्र सुभान खां
15. गनी खां पुत्र सुभान खां
16. रहमान खां पुत्र सुभान खां
17. मेहबूब खां पुत्र सुभान खां
18. मीरण पुत्री सुभान खां
19. जमीयत पुत्री सुभान खां
20. एमणो पत्नी नुरदीन
21. समसुदीन पुत्र नुरदीन
22. निहालदीन पुत्र नुरदीन
23. इमाम खां पुत्र नुरदीन
24. लतिफ पुत्र नुरदीन
25. कासम खां पुत्र नुरदीन
26. जुलेफा पुत्री नुरदीन
27. अमरो पत्नी मुसे खां
28. सदीक खां पुत्र मुसे खां

राजस्व अपील प्राधिकारी

29. अमी मोहम्मद पुत्र मुसे खां
30. रविना पुत्री मुसे खां
31. अमनी पुत्र मुसे खां
32. करीमों पुत्री मुसे खं
33. इलमदीन पुत्र कादर खां
34. मीमो पत्नी हनीफ खां
35. जुबेदा पुत्री हनीफ खां
36. जैनरव पुत्री हनीफ खां
37. बिस्मीला पुत्री हनीफ खां
38. उम्मेदा पुत्री हनीफ खां
39. रउफा पुत्री हनीफ खां
40. लालदीन पुत्र कादर खां
41. सरीफो पुत्री कादर खां
42. सुरमा पुत्री कादर खां
43. मीमो पुत्री कादर खां
44. जलेखा पुत्र कायमदीन
45. सिकन्दर पुत्र कायमदीन
46. मीमो पत्नी सुभान खां
47. निबाब खां पुत्र सुभान खां
48. बलीखां पुत्र सुभान खां
49. सिन्धीखां पुत्र सुभान खां
50. छोटू खां पुत्र सुभान खां
51. मुख्तयार पुत्र सुभान खां
52. साबिर पुत्र सुभान खां
53. बिस्मिला पुत्री सुभान खां
54. सलीमा पुत्री सुभान खां
55. मरवत पुत्री सुभान खां
56. धोलकी पुत्री सुभान खां
57. सुफिया पत्नी निहालदीन
58. रेहमततुला पुत्र निहालदीन
59. उम्मेद अली पुत्र निहालदीन
60. मुसरफ पुत्र निहालदीन

राजस्व अपील प्राधिकारी

61. सलीमा पुत्री निहालदीन
62. रुकीया पुत्री निहालदीन (नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता सुफिया)
63. सोना पुत्री निहालदीन (नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता सुफिया)
64. हुरमी पुत्री कायमदीन
65. ऐमणो पुत्री कायमदीन
66. जमाली पुत्री कायमदीन
67. अलारखी पुत्री कायमदीन
68. अली खां पुत्र मेहरदीन
69. इनु पुत्री मेहरदीन
70. फाती पुत्री मेहरदीन
71. कमी पत्नी इलमदीन
72. नजीर खां पुत्र इलमदीन
73. हुजुर खां पुत्र इलमदीन
74. इस्माईल पुत्र खेरदीन
75. समस्तदीन पुत्र खेरदीन
76. फतेह मोहम्मद पुत्र खेरदीन
77. इनायतु पुत्री खेरदीन
78. अब्दुल रहीम पुत्र नूर खां
79. इलियास पुत्र नूर खां
80. दलीखातूं पत्नी नसरदीन
81. गुलाम रसूल पुत्र नसरदीन
82. मस्तान पुत्र नसरदीन (नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता दलीखातूं)
83. यारु खां पुत्र नसरदीन (नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता दलीखातूं)
84. फिरदोस पुत्री नसरदीन (नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता दलीखातूं)
85. रविना पुत्री नसरदीन (नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता दलीखातूं)

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सभी निवासीगण ग्राम मस्जिद की ढाणी, तहसील देचू जिला जोधपुर

.86. गफुर खां पुत्र कायम खां जाति मुसलमान, निवासी ग्राम जालोडा, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर
87. मुरिदा पत्नी अलारख
88. सदीक खां पुत्र अलारख
89. नजीर खां पुत्र अलारख
90. गनी खां पुत्र अलारख
91. बिस्मिला पुत्री अलारख
92. हबीबो पुत्री अलारख
93. जुबेदा पुत्री अलारख
94. खुशाल खां पुत्र अजीत खां
95. आलम खां पुत्र शेरखां
96. आमदीन पुत्र शेरखां
97. नसरदीन पुत्र शेरखां
98. अमनी पत्नी इलमदीन
99. मुख्तयार पुत्र इलमदीन
100. याकुब खां पुत्र इलमदीन
101. सुलतान खां पुत्र लाल खां
102. नेन खां पुत्र लाल खां
103. सिकन्दर पुत्र लाल खां
104. मरीमो पत्नी निहाल खां उर्फ नियालदीन
105. साले मोहम्मद पुत्र निहाल खां उर्फ नियालदीन
106. हमीद पुत्र निहाल खां उर्फ नियालदीन
107. रउफ खां पुत्र निहाल खां उर्फ नियालदीन
108. सुफिया पत्नी सायर खां पुत्री नियालदीन
109. मेहबूब पुत्र सायर खां (नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता सुफिया)
110. मसरत पुत्र सायर खां (नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता सुफिया)
111. फाजल खां पुत्र मेहताब खां
112. रेहमत पुत्री सलमान खां

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

113. मदीना खातूं पुत्री सलमान खां
114. बिस्मिला खातूं पुत्री सलमान खां
115. इनायत पुत्री बच्चु खां पत्नी निजामदीन
116. याकुब खां पुत्र निजामदीन
117. शकुर खां पुत्र मुसेखां
118. जेनफ खातूं पत्नी शेर खां
119. इलियास पुत्र शेर खां
120. रमजान पुत्र शेर खां
121. नसरदीन पुत्र शेर खां
122. बसीर खां पुत्र शेर खां
123. नजीर पुत्र शेर खां
124. सदीक पुत्र मुसे खां
125. इनायतू पुत्री मुसे खां
126. अमनो पुत्री मुसे खां
127. इलमदीन पुत्र मीर मोहम्मद
128. अब्दुल करीम पुत्र मीर मोहम्मद
129. सकी मोहम्मद पुत्र मीर मोहम्मद
130. हुरो पत्नी सुरतान खां
131. आसीफ पुत्र सुरतान खां
132. मिसरा पुत्री सुरतान खां (नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता हुरो)
133. बसीर खातूं पत्नी जमाल खां
134. बली खां पुत्र बच्चु खां
135. कमरदीन पुत्र लाल खां
136. नसरदीन पुत्र लाल खां
137. जुसुब पुत्र कायम खां
138. अमरी पत्नी अबदे खां
139. सदाम पुत्र अबदे खां (नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता अमरी)
140. मुख्तयार पुत्र अबदे खां (नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता अमरी)
141. निहालदीन पुत्र नुर खां

राजस्व अपील प्राधिकारी

142. निजामदीन पुत्र नुर खां
143. उमराव खां पुत्र नुर खां
144. बसीर खां पुत्र नसरदीन
145. साबिर पुत्र नसरदीन
146. रेहमत पुत्री नसरदीन
147. गफुर खां पुत्र फतेह मोहम्मद
148. सरादीन पुत्र फतेह मोहम्मद
149. कासम खां पुत्र फतेह मोहम्मद
150. अयूब खां पुत्र फतेह मोहम्मद
151. अब्दुल करीम पुत्र फतेह मोहम्मद
152. जुसुब खां पुत्र फतेह मोहम्मद
153. इलियास खां पुत्र फतेह मोहम्मद
154. करीमा पुत्री फतेह मोहम्मद
155. फतेह खातूं पत्नी इलाउखां
156. उम्मेददीन पुत्र इलाउखां
157. मोरदीन पुत्र इलाउखां
158. अहम्मद खां पुत्र इलाउखां
159. कमरदीन पुत्र इलाउखां
160. कमी पुत्री इलाउखां
161. निहालदीन पुत्र निजेखां
162. कासम खां पुत्र निजेखां
163. सदाम पुत्र निजेखां
164. सरीफो पुत्री निजेखां
165. इलमदीन पुत्र अलादीन
166. जमालदीन पुत्र अलादीन
167. रेशमा पत्नी आलम खां
168. इस्लाम खां पुत्र आलम खां
169. जन्नत खातूं पत्नी लालदीन
170. सरादीन पुत्र लालदीन
171. हुजुर खां पुत्र लालदीन
172. उमर खां पुत्र लालदीन
173. रफीक पुत्र लालदीन

राजस्व अपील प्राधिकारी

174. सफी मोहम्मद पुत्र लालदीन
175. अमनी पुत्री लालदीन
176. उमती पुत्री लालदीन
177. मुरित पुत्र सलीम खां
178. बच्चु खां पुत्र सलीम खां
179. लाले खां पुत्र सलीम खां
180. समुखां पुत्र सलीम खां
181. सुरतान खां पुत्र लाल खां
182. हरमत बेवा नूर खां
183. आमदीन पुत्र नूर खां
184. गफुर खां पुत्र नूर खां
185. बालम खां पुत्र नूर खां
186. सिकन्दर पुत्र नूर खां
187. अता मोहम्मद पुत्र नूर खां
188. हारून खां पुत्र नूर खां
189. सायरा पुत्री नूर खां
190. अजमत पत्नी अहम्मद खां
191. फतेह मोहम्मद पुत्र अहम्मद खां
192. अतेमोहम्मद पुत्र अहम्मद खां
193. बरकततुला खां पुत्र अहम्मद खां
194. हिदायततुला खां पुत्र अहम्मद खां
195. जलालदीन पुत्र हाजी खां
196. जमालदीन पुत्र हाजी खां
197. कमाल पुत्र हाजी खां
198. लालदीन पुत्र हाजी खां
199. मोहम्मद पुत्र हाजी खां
200. सुरती पत्नी सलेम खां
201. समेखां पुत्र सलेम खां
202. कमरदीन पुत्र सलेम खां
203. हबीबुला पुत्र सलेम खां
204. इनायतों पत्नी मोहम्मद खां
205. याकुब खां पुत्र मोहम्मद खां

राजस्व अपील प्राधिकारी

206. फारूक खां पुत्र मोहम्मद खां
सभी जाति मुसलमान, निवासीगण ग्राम मस्जिद की ढाणी, तहसील देचू, जिला जोधपुर
207. यूको बैंक शाखा पीलवा जरिये शाखा प्रबन्धक तहसील देचू, जिला जोधपुर
208. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार देचू, तहसील देचू, जिला जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं फाइनल डिकी सहायक कलेक्टर लोहावट दिनांक 19 अप्रेल 2022 राजस्व वाद संख्या 100/2021 ग्राम पंचायत मस्जिद की ढाणी बनाम मुरादों इत्यादि

उपस्थित-
श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री रोशनलाल विश्नोई, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 208
अन्य रेस्पो. बावजूद सूचना अनुपस्थित

नि र्ण य

दिनांक : 18 नवम्बर, 2022

यह दोनों अपीलें अपीलाण्ट ने न्यायालय सहायक कलेक्टर, लोहावट द्वारा राजस्व वाद संख्या 100/2021 ग्राम पंचायत मस्जिद की ढाणी बनाम मुरादो इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 31 मार्च 2022 एवं उसके अनुकरण में पारित निर्णय एवं फाइनल डिकी दिनांक 19 अप्रेल 2022 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत अदालत हाजा के समक्ष कमशः दिनांक 21 अप्रेल 2022 एवं 09 मई 2022 को प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

इन दोनों अपीलों के तथ्य, संबंधित पक्षकारान एवं विषयवस्तु एक समान होने के कारण इन दोनों अपीलों का निस्तारण इस एक ही निर्णय के जरिये किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक अपील पत्रावली के संलग्न रखी जावे।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी-रेस्पों. संख्या एक ने ग्राम मस्जिद की ढाणी तहसील देचू जिला जोधपुर स्थित आराजी खसरा संख्या 464 रकबा 343 बीघा 09 बिस्वा के मूल खातेदार फाजल खां पुत्र मेहताब खां से उक्त खसरे में से 40/688 हिस्सा अर्थात 2 बीघा भूमि जरिये बख्शीस प्राप्त करना जाहिर करते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 53 एवं 188 के तहत प्रस्तुत कर उक्त खसरा नम्बर वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 96 की संयुक्त खातेदारी का होना प्रकट किया और वाद स्वीकार किया जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किये जाने की इस्तदुआ की। उक्त वाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जरिये अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31 मार्च 2022 को स्वीकार किया जाकर विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये और विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्णय एवं फाइनल डिक्री दिनांक 19 अप्रेल 2022 को पारित किये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31 मार्च 2022 के खिलाफ अपीलाण्ट द्वारा अपील संख्या 2022/063 (GCMS 2022/143) तथा निर्णय एवं फाइनल डिक्री दिनांक 19 अप्रेल 2022 के खिलाफ अपील संख्या 2022/070 (GCMS2022/172) प्रस्तुत की गयी है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस सुनी गयी। मामले के तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने अपनी बहस में जारी किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल वाद में 96 प्रतिवादीगण थे, जिनमें से कईयों का देहान्त हो जाने से अब करीब 208 पक्षकार है, जिनमें से कई पक्षकारान को वाद का कोई नोटिस ही नहीं मिला तथा वादी-पक्ष द्वारा फौत हुए प्रतिवादीगण के कायममुकामान संबंधित प्रार्थनापत्र दिनांक 15 मार्च 2022 को स्वीकार किया गया, मगर संबंधित कायममुकामान को किसी प्रकार से नोटिस ही जारी नहीं किये गये। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी की ओर से जो संशोधित वादशीर्षक पेश किया गया, उसमें भी प्रतिवादी संख्या 77 का मजीद खां पुत्र जान खां फौत है, जिसके कायममुकामान की कार्यवाही किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री एक मृत व्यक्ति के खिलाफ पारित कर दिये गये है। अपनी बहस जारी रखते हुए अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावे में वादी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 के तहत खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष भी चाहा गया है, जिसके द्वारा समुचित साक्ष्य सबूत के आधार पर वादी को अपना वाद स्वयं साबित करना कानूनन नितान्त आवश्यक है। मगर न तो वादी की ओर से समुचित साक्ष्य सबूत पेश किये गये और न ही प्रस्तुत तथाकथित बक्शीशनामा व जमाबंदी आदि अधीनस्थ न्यायालय में प्रदर्श कराये गये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व वाद का निस्तारण निर्धारित विधिक प्रकिया के अनुरूप तनकियात आदि कायम की जाकर पक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई के बाद तनकीवार समुचित विवेचन एवं विश्लेषण कर निष्कर्ष पारित करते हुए किये

राजस्व अपील प्राधिकारी

जाने की बजाय मात्र एक प्रार्थनापत्र की भांति सरसरी तौर पर किया गया है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने यह भी जाहिर किया कि वादग्रस्त आराजी से संबंधित वर्तमान राजस्व रिकार्ड में करीब 20 मृत सहखातेदारान के नाम दर्ज है, जिनके संबंध में कायममुकामान की कार्यवाही कर राजस्व रिकार्ड अद्यतन किये बिना विभाजन प्रस्ताव तलब किया जाना भी सम्भव नहीं है। अतः प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं फाइनल डिक्री के खिलाफ प्रस्तुत अपील बाबत बहस करते हुए अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय में विभाजन प्रस्ताव दिनांक 18 अप्रेल 2022 को अधीनस्थ न्यायालय में प्राप्त हुए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव बाबत पक्षकारान को उज्र-एतराज प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही दिनांक 19 अप्रेल 2022 को निर्णय एवं फाइनल डिक्री पारित कर दिये गये, जो न्यायोचित एवं विधिसम्मतः नहीं है। विभाजन प्रस्ताव स्वयं संबंधित तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर तैयार नहीं किये गये, अपितु पटवारी (भू.अ) भौजाकौर द्वारा तैयार किये गये है। जिस पर सभी पक्षकारान के हस्ताक्षर भी नहीं है। मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर ध्यान ही नहीं दिया गया। इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं फाइनल डिक्री दिनांक 19 अप्रेल 2022 पारित किये गये है, जो बहाल रखे जाने योग्य नहीं है। अपनी बहस के समर्थन में अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने 2014(1) आरआरटी 258 प्रस्तुत की, जिसमें

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

माननीय राजस्व मण्डल द्वारा धारित किया गया है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव के बिना फाइनल डिक्री जारी नहीं की जा सकती है। अतः प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर निर्णय एवं फाइनल डिक्री दिनांक 19 अप्रेल 2022 अपास्त किये जावे।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 31 मार्च 2022 के खिलाफ प्रस्तुत अपील में बावजूद सूचना अन्य रेस्पों. की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं फाइनल डिक्री के खिलाफ प्रस्तुत अपील में केवियेटर-रेस्पो. संख्या एक (वादी) की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री रोशनलाल विश्नोई ने अपीलाधीन निर्णय एवं फाइनल डिक्री दिनांक 19 अप्रेल 2022 का समर्थन करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद उभयपक्षकारान की विभाजन प्रस्ताव बाबत बहस सुनी गयी, जिसमें किसी भी पक्ष की ओर से विभाजन प्रस्ताव बाबत कोई उज्र-एतराज जाहिर नहीं किया गया। अपीलाण्ट सहित अन्य कुछ सहखातेदारान द्वारा वादग्रस्त खसरा में से अपनी भूमि का बेचान जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख 08 सितम्बर 2010 को किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट को आलौच्य अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार ही उपलब्ध नहीं है। अतः प्रस्तुत अपील खारिज की जावे।

रेस्पो. संख्या 208 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया। अन्य रेस्पो. बावजूद सूचना कोई उपस्थित नहीं हुआ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। आलौच्य मामले में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल वाद दिनांक 26 अप्रेल 2021 को संस्थित किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी हेतु नोटिस वास्ते पेशी दिनांक 20 अगस्त 2021 जारी किये गये। जिनमें से आधे से ज्यादा प्रतिवादीगण के नोटिस तामीलकुनिन्दा की "आसामी मौके पर नहीं मिला, आबाद मकान पर चस्पा किया" रिपोर्ट सहित अधीनस्थ न्यायालय में प्राप्त हुए, जिन्हें भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समुचित तामील माना गया है, जो सही नहीं है क्योंकि आदेश 5 नियम 20(1) सीपीसी में प्रावधान किया गया है कि --

> **(1)** Where the Court is satisfied that there is reason to believe that the defendant is keeping out of the way for the purpose of avoiding service, or that for any other reason the summons cannot be served in the ordinary way, the Court shall order the summons to be served by affixing a copy thereof in some conspicuous place in the Court-house, and also upon some conspicuous part of the house (if any) in which the defendant is known to have last resided or carried on business or personally worked for gain, or in such other manner as the Court thinks fit.
>
> **(1A)** Where the Court acting under sub-rule (1) orders service by an advertisement in a newspaper, the newspaper shall be a daily newspaper circulating in the locality in which the defendant is last known to have actually and voluntarily resided, carried on business or personally worked for gain.

मगर आलौच्य मामलें में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के बिना ही प्रतिवादीगण के नोटिस आबाद मकान पर चस्पांदगी के जरिये सम्यक तामील मान ली गयी है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

इतना ही नहीं, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल वाद आदेश 22 नियम 4 सीपीसी के प्रार्थनापत्रों के जवाब एवं बहस हेतु विचाराधीन रहने के दौरान पेशी दिनांक 15 मार्च 2022 को प्रतिपक्ष की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत हुए बिना और प्रतिपक्ष के जवाब का अवसर समाप्त किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी स्वीकार करते हुए तदनुसार संशोधिक वाद-शीर्षक प्रस्तुत किये जाने बाबत आगामी पेशी दिनांक 23 मार्च 2022 मुकर्रर की गयी। दिनांक 23 मार्च 2022 की आदेशिका, जिस पर कोई हस्ताक्षर ही नहीं है, के जरिये पेशी इल्तवा की जाकर आगे पेशी 23 मई 2022 निर्धारित की गयी। मगर दिनांक 31 मार्च 2022 को शीघ्र सुनवाई के प्रार्थनापत्र के आधार पर प्रकरण पेशी पर लिया जाकर जरिये अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दावा स्वीकार करते हुए प्राथमिक डिक्री पारित कर दी गयी। उल्लेखनीय है कि मामले में प्रतिवादी संख्या 15 आमदीन की ओर से प्रतिवादी संख्या 55 के कायममुकामान की कार्यवाही हेतु प्रार्थनापत्र पेश किया गया, इसी प्रतिवादी संख्या 55 के कायममुकामान की कार्यवाही हेतु वादी की ओर से प्रार्थनापत्र पेश किया गया। जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15 मार्च 2022 को स्वीकार कर लिया गया। मगर समस्त कार्यवाही में उक्त प्रतिवादी संख्या 55 के कायममुकामान को किसी प्रकार से कोई नोटिस जारी ही नहीं किये गये।

अधिवक्ता-अपीलाण्ट के इस तर्क से अदालत हाजा सहमत है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावे में वादी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 के तहत खातेदारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधिकारों की घोषणा का अनुतोष भी चाहा गया है, जिसके द्वारा समुचित साक्ष्य सबूत के आधार पर वादी को अपना वाद स्वयं साबित करना कानूनन नितान्त आवश्यक है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो प्रतिवादीगण का जबाबदावा पेश करने का अवसर समाप्त किया गया है और न ही वादी को अपने वाद की ताईद में दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रकिया अपनाये, प्रतिवादीगण की तलबी हेतु जारी सम्मनों की सीपीसी के प्रावधानों के अनुरूप सम्यक एवं समुचित तामील हुए बिना, मृतक पक्षकारान के जो कायममुकामान बनाये गये, उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कोई सूचना अथवा नोटिस जारी किये बिना जल्दबाजी में मात्र सरसरी तौर पर कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31 मार्च 2022 पारित किया जाना प्रकट होता है जो बहाल रखे जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित फाइनल डिक्री के खिलाफ प्रस्तुत अपील में केवियेटर-रेस्पो. संख्या एक (वादी) की ओर से अधिवक्ता श्री रोशनलाल विश्नोई ने बहस के दौरान जो विक्रय विलेख की छायाप्रति प्रस्तुत की है, जो सत्यापित प्रतिलिपि नहीं होने से कानूनन साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है, इसके उपरान्त भी उसका अवलोकन करने पर विदित होता है कि प्रस्तुत छायाप्रति के अनुसार सुभान खां, नूरदीन उर्फ नूरे खां, इलमदीन, आमदीन, लालदीन पिसरान कादर खां, शरीफो पुत्री कादरखां पत्नी आलम खां, सुरमा

राजस्व अपील प्राधिकारी

पुत्री कादर खां पत्नी गफूर खां, मीमो पुत्री कादर खां पत्नी जमालदीन द्वारा आराजी खसरा संख्या 8 रकबा 90 बीघा 13 बिस्वा एवं आराजी खसरा संख्या 464 रकबा 343 बीघा 09 बिस्वा में अपने 1/15वें हिस्से (1/165वां हिस्सा प्रत्येक का) अर्थात 21 बीघा 01 बिस्वा भूमि का बेचाननामा दिनांक 08 सितम्बर 2010 को पर्ल्स टाउनशिप डवलपर्स प्रा.लि. के पक्ष में किया गया है। किन्तु पंजीयन किस दिनांक को हुआ, इस बाबत दस्तावेज के पृष्ठों की पुश्त की छायाप्रति नहीं होने से कोई जानकारी नहीं होती है। उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय में 26 अप्रेल 2021 को प्रस्तुत वाद में वादी-रेस्पो. संख्या एक की ओर से पर्ल्स टाउनशिप डवलपर्स प्रा.लि. को पक्षकार नही बनाया गया है अपितु अपीलाण्ट आमदीन व अन्य को ही बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल वाद में "मिस-ज्योइण्डर/नॉन ज्योइण्डर ऑफ नैसेसरी पार्टीज" का बिन्दु भी गौरतलब हो जाता है।

अतः प्रस्तुत दोनों अपीलें स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31 मार्च 2022 एवं उसके अनुकरण में पारित अपीलाधीन निर्णय एवं फाइनल डिक्री दिनांक 19 अप्रेल 2022 अपास्त किये जाते है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी के वर्तमान सभी रिकार्डेड खातेदारान वर्तमान प्रकरण में पक्षकार बनाया जाना सुनिश्चित करते हुए तदनुसार तलबी हेतु सम्मन/नोटिस जारी किये जावे एवं सम्मनों की सीपीसी के संबंधित प्रावधानों के अनुरूप सम्यक एवं

राजस्व अपील अधिकारी

समुचित तामील नियमानुसार करायी जावे और सभी मृतक पक्षकारान के कायममुकामान की विधिवत कार्यवाही की जाकर नये सिरे से सभी पक्षकारान को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए संबंधित अधिनियम एवं नियमों के तहत निर्धारित विधिक प्रकिया के अनुरूप न्यायोचित एवं विधिसम्मतः निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

[signature] 18.11.2022

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर